Factual Report in the matter of Rajendra Tiwari V/s Union of India & Ors. (OA No. 61/2024) as per the directions of Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Rajendra Tiwari V/s Union of India & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, the applicant Sh. Rajendra Tiwari has raised the issue that the area and the land notified as Nahargarh Sanctuary, Khasra No. 5621 (New Khasra No. 6443), 6444/1,6440 of village Amer comes within the category of Forest Act and governed by Nahargarh Wildlife Sanctuary notifications, coming within the eco sensitive zone and inspite of that the area of khasra no. 5621 was sub divided and land measuring 1.93 hectare which was reserved forest was re-deserved without any authority in violation of Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.There is encroachment in Khasra no. 169 of village Nahargarh, it is being used for commercial activities in violation of Air Act, 1981 and the Water Act, 1974.

Order

Hon'ble NGT Central Zone Bench passed an order dated 08.11.2024 which inter-alia says as under:-

> *"1. The contention of the applicant are that the area and the land notified as Nahargarh Sanctuary, Khasra No. 5621 (New Khasra No. 6443), 6444/1,6440 of village Amer comes within the category of Forest Act and governed by Nahargarh Wildlife Sanctuary notifications, coming within the eco sensitive zone and inspite of that the area of khasra no. 5621 was sub divided and land measuring 1.93 hectare which was reserved forest was re-deserved without any authority in violation of Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980. It is further submitted that there are encroachments in Khasra no. 169 of village Nahargarh,it is being used for commercial activities by respondent no. 16 &17 using hazardous chemicals and gases in violation of Air (Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution)*

Act, 1974 using heavy machineries contributing to sound pollution in that area causing disturbances in natural habitants of wildlife and also hazardous for forest in violation of environmental rules. Notices were issued to the respondents but no clear demarcation and report has been filed.........

3.In the meantime, we constitute a following committee with direction to submit the factual and action taken report :

i. One representative from the Chief Conservator of Forest, State of Rajasthan, Jaipur

ii. The Collector, Jaipur/Chairman Ex-officio of the monitoring committee (Rajasthan)

iii. One representative from the State Pollution Control Board (Rajasthan)

4. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

Field Visit

Office Order dated 09.12.2024 issued from District Collectorate, Jaipur nominating SDO, Amer. Letter dated 04.12.2024 issued from Forest Department nominating DCF (WL), Zoo, Jaipur and office order dated 29.08.2024 issued from RSPCB appointing RO, Jaipur (North) as OIC in the case. (Copy of the nominations are enclosed and collectively marked as **Annexure-1**)

Following persons conducted the field visit on 10.01.2025 in connection with this case:

(i) Sh. Jagdish Chand Gupta, Deputy Conservator of Forests, (WL), Zoo, Jaipur.

(ii) Sh. Bajrang Lal Swami, Sub-Divisional Officer, Amer, Jaipur.

(iii) Sh. Vijay Sharma, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North).

Observations

During field visit and on perusal of records, it was observed that: -

(i) Matter relates to the retail outlet of unit M/s Handicraft Haveli located on Khasra No. 88 engaged in sale of Handicraft items and unit's godown located on Khasra No. 169 engaged in finishing and packing of handicraft items which were visited by the joint committee members.

(ii) At retail outlet of the unit located on Khasra No. 88 sale of the handicraft items being done with arrangement for demonstration activity of carpet manufacturing and block printing. No source of air or water pollution was observed except domestic waste water from approx. 6 labours from the premises. Retail outlet of the unit does not require to obtain consent from the State Board.

(iii) At godown of the unit at Khasra No. 169, activities of finishing and packing of handicraft items were being carried out. No source of air or water pollution were observed except domestic waste water from approx. 6 labours from the premises. Unit requires to obtain consent under the provisions of the Air Act,1981 and/or the Water Act, 1974 from the State Board.

(iv) That as per categorization of industrial units by the State Board, Handicrafts units without furnace and surface treatment is covered under Green category and operating within the Eco Sensitive zone of the Nahargarh Wild Life Sanctuary, therefore, show cause notice has been issued on 13.01.2025 (Copy enclosed at **Annexure- 2**) to the unit located at Khasra No. 169 for operating without valid consent from the State Board, under the provisions of the Air Act, 1981 and the Water Act, 1974.

(v) Status of location of both premises were verified on 16.07.2024 by the concerned persons of Forest Department and it was observed that both the premises falls outside the Forest Boundaries (Copy of Mauka Inspection Report enclosed at **Annexure-3**). As per the representative

of Forest Department in the joint committee, both the premises also falls outside the Nahargarh Wild Life Sanctuary notified on 22.09.1980 and within the Eco Sensitive zone notified on 08.03.2019 of the Nahargarh Wild Life Sanctuary.

(vi) That Zonal Master Plan of the Nahargarh Wild Life Sanctuary has been approved by the State Government which inter-alia says as under:-

"10.4Existing Activity/Use

ESZ Notification dated 08-03-2019 prescribed regulations regarding new hotel, resort, commercial establishments, etc. This leads to the requirement of defining what is "existing."

For purpose of ZMP for the ESZ, hotels, resorts, commercial establishments, etc. shall be considered as existing if they have any of the following issued prior to 08.03.2019 ESZ Notification of Nahargarh:

1. Electricity connection for non-agricultural use.

2. Approval by Tourism Department as tourism unit.

3.Conversion order/Patta for non-agricultural use.

4. Building Plan approval.

5. Order regarding change in landuse.

6. Proof of deposition of tax as hotel, resort, commercial establishment, etc.

7. CTE/CTO/Environmental Clearance."

(vii) That as per the circular dated 26.09.2023 issued from Forest, Environment & Climate Change Department, Govt. of Rajasthan regarding clarification of Hotels, resorts etc. which would be considered "existing" which are having any of the 07 listed documents (as mentioned above) prior to issue of Notification of that ESZ. Copy of the circular enclosed and marked as **Annexure-4.**

(viii) That according to above, the unit have 02 documents from the above list (Listed at Sr. No. 1 and 6) issued prior to 08.03.2019 and the documents are attached and collectively marked as **Annexure-5.**

Accordingly, the establishment was in existence prior to issuance of the Notification dated 08.03.2019 defining ESZ of the NWLS.

(ix) Handicrafts units without furnace and surface treatment does not require to obtain Environmental Clearance under the provisions of the EIA Notification dated 14.09.2006 and, accordingly, unit does not require to obtain Wild Life clearance from NBWL. Besides, there are so many other multi storied buildings in this area and other residential and commercial activities also being carried out in the area.

(x) As per the representative of Forest Department, a meeting was convened under the chairmanship of Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wild Life Warden, Rajasthan, Jaipur on 07.01.2025, in that meeting, map of Nahargarh Wild Life Sanctuary, as mentioned in its ESZ Notification dated 08.03.2019 was viewed vis-à-vis the coordinates of the points of the sanctuary and found that there are discrepancies w.r.t. the points of the sanctuary boundaries which need to be rectified. Accordingly, it was unanimously decided in the meeting that DCF (WL), Zoo, Jaipur shall superimpose the map of the Sanctuary as mentioned in the Sanctuary Notification dated 22.09.1980 on the digital revenue khasra map. The DCF shall submit such detailed WLS & ESZ overlaid on digital revenue khasra superimposed map. This rectified map will be submitted before the committee to finalize after evaluation & approval of committee of Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wild Life Warden, Rajasthan. Such proposed rectified map shall be forwarded to the State Government for approval. Copy of the Minutes of Meeting dated 07.01.2025 enclosed and marked as **Annexure-6.**

(xi) Photographs taken during the site visit are enclosed and collectively marked as **Annexure-7.**

Conclusion

(I) Unit is being operated outside Forest area and outside of the Nahargarh Wild Life Sanctuary and within ESZ of the sanctuary without valid consent from the State Board, therefore, a show cause notice has been issued from the Rajasthan State Pollution Control Board on 13.01.2025 and further action as per rules shall be taken.

(II) Unit does not require to obtain Environmental Clearance under the provisions of the EIA Notification dated 14.09.2006 and, accordingly, unit does not require to obtain Wild Life clearance from NBWL.

Enclosures

(i) Office Order dated 09.12.2024 issued from District Collectorate, Jaipur Letter dated 04.12.2024 issued from Forest Department nominating DCF (WL), Zoo, Jaipur and office order dated 29.08.2024 issued from RSPCB appointing RO, Jaipur (North) as OIC in the case **(Annexure-1).**

(ii) Show cause notice dated 13.01.2025 **(Annexure - 2).**

(iii) Mauka Inspection Report dated 16.07.2024 **(Annexure - 3).**

(iv) Circular dated 26.09.2023 **(Annexure - 4).**

(v) Documents issued prior to 08.03.2019 **(Annexure - 5).**

(vi) Minutes of meeting dated 07.01.2025 **(Annexure -6).**

(vii) Photographs taken during the field visit **(Annexure -7).**

[signature]	[signature]	[signature]
Vijay Sharma	Bajrang Lal Swami	Jagdish Chand Gupta
Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)	SDO, Amer, Jaipur.	Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur.

Annexure-1

RSPCB

यूनिक कोड नं0 W **18-509-6386-407-43-61/2024**

क्रमांक: प- **F.10(635)RPCB/Legal/NGT/2024/** 975-976 दिनांक: ~~28-08-2024~~ 29

आदेश

विषय-
- i. वाद//याचिका/अपील सं0: **ORIGIONAL APPLICATION/APPLICATION/61/2024**
- ii. याची/वादी/अपीलार्थी : **Rajendra Tiwari**
- iii. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: **Union of India & Ors.**
- iv. न्यायालय का नाम: **NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), Bhopal**

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 -(केन्द्रीय अधिनियम, 5 वर्ष 1908) के आदेश XXVII के नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महामहिम राज्यपाल महोदय / संस्था की ओर से उक्त प्रकरण में जवाब/अपील/रिट प्रस्तुत करने, अभिवचनों को सत्यापित करने एवं विविध आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्न को प्रभारी अधिकारी/समन्वयक नियुक्त किया जाता है :-

प्रभारी अधिकारी/समन्वयक का नाम: **Regional Officer, Jaipur (North)**
पदनाम: **Regional Officer (North)**
पता: **Regional Office(North), RSPCB, Opp. Road No. 5, Sikar Road, Jaipur**
Mobile No / Email : **9414077343 / rorpcb.jaipur@gmail.com**

प्रभारी अधिकारी//समन्वयक को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के नियम 233 में उल्लेखित दायित्व एवं कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात् निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगेः-

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित सभी पत्रावलियां/दस्तावेज/अधिनियम/नियम// विनियम/परिपत्र /दिशा-निर्देश /अधिसूचना / आदेश /सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
3. प्रकरण में उठाये गये सभी तथ्य एवं बिन्दुओं का प्रशासनिक अनुभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा क्रमानुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुये जो राजकीय अधिवक्ता एवं राज्य पक्ष के प्रतिरक्षण/पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/सहायक हो, तैयार करेंगे।
4. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्य एवं तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ, प्रभारी अधिकारी//समन्वयक के नियुक्ति पत्र के साथ प्रपत्र 'क' में उपलब्ध करायेंगे, जिसमें प्रकरण की पैराक्रमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाक्रम अनुसार, सम्बन्धित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा-निर्देश और यदि पूर्व में समान बिन्दुओं पर निर्णित उच्च न्यायालय//उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो तो वे (List / Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments relevant & under reference) भी प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा स्वयं के ज्ञान व विभाग के अभिलेखानुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किये जायेंगे।
5. न्यायालय में दायर किये जाने वाले वाद/ अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/विविध प्रार्थना पत्र आदि की विभागीय तथ्यात्मक स्थितियों /आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण किया जावें, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
6. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एवं पैनल लॉयर/स्टेंडिग कॉउन्सिल/राजकीय अधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/अतिरिक्त महाधिवक्ता की प्रकरण में पैरवी हेतु नियुक्ति हो जाने पर संबंधित अधिवक्ता से अतिशीघ्र सम्पर्क करके वांछित कार्यवाही सम्पादित की जावे।
7. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण के सुसंगत, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तथ्यों व अभिलेख के साथ यथा समय पूर्व राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करके आवश्यक प्रार्थना पत्र जवाब/अपील/रिट आदि तैयार न्यायालय में प्रस्तुत करायेंगे।
8. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक द्वारा उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/प्रत्युत्तर/अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/रिट याचिका/प्रार्थना पत्र आदि तैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज पर स्वयं एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों का सत्यापन/ प्रमाणीकरण/ अनुमोदन विधिक्षा हेतु प्रशासनिक अनुभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।
9. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक न्यायालय में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
10. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण में न्यायालय में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वयं एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
11. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित हो कर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे और समय पर साक्ष्य, अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग/सम्बन्धित कार्यालय// अधिकारी से ज्ञात करके न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे। अतः प्रभारी अधिकारी/समन्वयक प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।
12. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक प्रत्येक तारीख पेशी की कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी को [illegible] पर अंकित कर विभाग को अवगत करायेंगे और LITES के प्रपत्र 3 में [illegible] तारीख की [illegible]
13. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक द्वारा न्यायालय से कोई आदेश/[illegible] निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी। प्रभारी अधिकारी/समन्वयक न्यायालय के उक्त निर्देश/आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

Signature valid
Digitally signed by N.Vijai
Designation : Member Secretary
Date: 2024.08.28 1[illegible]:09:52 IST
Reason: Approved

14. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
15. प्रभारी अधिकारी/समन्वयक का दायित्व विभाग के विरूद्ध पारित निर्णय के सन्दर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी/समन्वयक की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक निरन्तर रहेगा।
16. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक वादकरण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाइट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/Updation Center को समय समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
17. प्रभारी अधिकारी//समन्वयक का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी//समन्वयक को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर न्यायालय में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी//समन्वयक को उपलब्ध करवाया जावेगा और इस आशय को प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्थिति में अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (L.P.C) जारी नहीं होगा।
18. यदि प्रभारी अधिकारी/समन्वयक उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वयं को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

(vijai N.)
Member Secretary

क्रमांकः प- **F.10(635)RPCB/Legal/NGT/2024/** 975-976 दिनांकः ~~28~~ 29-08-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North), appointed as OIC on behalf of RSPCB with the direction to prepare the parawise factual report, contact the counsel of the State Board and get the draft reply so that same may be filed with approval of competent authority before Hon'ble NGT, Bhopal.

2. Shri Rohit Sharma, Advocate, E-5/43, Arera Colony, Bhopal, Pin-462016 Mobile No. 8435256569 with the request to file the reply, act and plead before the Hon'ble NGT, Bhopal. you will be paid fee as per RSPCB office order dated 05.03.2020.

Member Secretary

Signature valid
Digitally signed by N.Vijai
Designation : Member Secretary
Date: 2024.08.28 19:09:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10052169

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर: 0141–2713853 **ई–मेल:** ccfwl.jpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ()निस / मुवसंवजी / 2024 / 285 दिनांक: 04-12-2024
निमित्त

क्षेत्रीय अधिकारी(उत्तर)
राजस्थान प्रदूषण कट्रोल बोर्ड
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– एन.जी.टी. प्रकरण ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 61 / 2024, राजेन्द्र तिवाडी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में एन.जी.टी. समिति के लिए प्रतिनिधि की नियुक्त के संबंध में।

सन्दर्भः– आपके पत्रांक राजकाज नं. 12148076 दिनांक 02.12.2024 एवं माननीय एन.जी.टी. आदेश दिनांक 08.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 08.11.2024 के संदर्भ में, ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 61 / 2024 की Factual and action taken report प्रस्तुत करने के लिए समिति गठन के लिए मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में श्री जगदीश चंद गुप्ता, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर का मनोनयन किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

O/C

(टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक
(वन्यजीव), जयपुर

क्रमांक: एफ()निस / मुवसंवजी / 2024 / 286-288 दिनांक : 04-12-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राज0 जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर।
3. श्री जगदीश चंद गुप्ता, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर को श्री विजय शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण कट्रोल बोर्ड के साथ उपरोक्त समिति के संबंध में समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

O/C

मुख्य वन संरक्षक
(वन्यजीव), जयपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर एवमं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांकः–आर–1/(158)24/61–2024/विविध/ 4477 दिनांकः 9/12/24

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण केन्द्रीय बैच भोपाल प्रकरण संख्या 61/2024 (सीजेड) उनवान राजेन्द्र तिवाडी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य समक्ष माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 में जॉच करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिला कलक्टर, जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपखण्ड अधिकारी आमेर को नियुक्त किया जाता है।

(विनीता सिंह)
अति0 कलक्टर प्रथम एवं
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट, जयपुर

क्रमांकः–आर–1/(158)24/61–2024/विविध/ 4478 दिनांकः 9/12/24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (उत्तर), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, रोड न0 5 के सामने वीकेआई, सीकर रोड, जयपुर के पत्रांक 197 दिनांक 02.12.24 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

अति0 कलक्टर प्रथम एवं
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट, जयपुर

RajKaj Ref
12269364

Signature valid
Digitally signed by Vinita Singh
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2024.12.06 20:10:31 IST
Reason: Approved

Annexure-2

Regional Office Jaipur North
Rajasthan State Pollution Control Board,
Opp. Road No. 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur
Email:- rorpcb.jaipur@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in
Ph:-0141-2850100

Registered Post/E-mail

F.No.RPCB/ROJP/N/Gen-37/ 1511 Date: 13/01/25

M/s Handicraft Haveli,
Khasra No-169, Beniwal Bagh,
Gurjar ghati Jaipur, Rajasthan.

Subject: - Show cause notice for intended direction for closure under section 33(A) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 31(A) the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 for your industrial unit located at **Khasra No-169, Beniwal Bagh, Gurjar ghati Jaipur, Rajasthan.**

Reference: 1.Inspection Report dated 18.09.2024.

Sir,

1. Whereas, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 (hereinafter referred to as the "Water Act") has come into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23/03/1974 & the Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981 (hereinafter referred to as the "Air Act") has come to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16/05/1981.
2. And whereas the Water Act has been enacted for the prevention and control of water pollution and the maintaining or restoring of wholesomeness of water & the Air Act has been enacted to provide for the prevention, control and abatement of air pollution and to carry out the aforesaid purpose and the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter referred to as the "Board") has been conferred power to take such steps as are deemed necessary for the enforcement of the provisions of the aforesaid Acts.
3. And whereas keeping this in view the Rajasthan State Pollution Control Board (here in after called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention control & abatement of air and water pollution.
4. And whereas unit is being operated in the name & style of **M/s Handicraft Haveli located at Khasra No-169, Beniwal Bagh, Gurjar ghati Jaipur, Rajasthan.**
5. And whereas. inspection of Unit was carried out on 18.09.2024 by State Board Officials. During Inspection. following non-compliances were observed:
   - **Unit found established without prior Consent to establish and put to operation without Consent to operate from the State Board.**
6. **And whereas, National Green Tribunal (NGT) delivered a decision on May 08,2013 in the application no. 37 of 2012; Wassan Singh V/s. State of Punjab-regarding, and it was enjoined upon all the industrial operations and process to close down their production activity which are operating without proper consent of the State Board. State Pollution Control Board has also been directed to seal such defaulter units.**

Regional Office Jaipur North
Rajasthan State Pollution Control Board,
Opp. Road No. 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur
Email:- rorpcb.jaipur@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in
Ph:-0141-2850100

7. And whereas, the above observation clearly reveals that industry has violated the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 & the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.
8. And whereas, above stated violations of the provisions of the Air Act & the Water Act have been viewed seriously by the Board.
9. And whereas the State Board may, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of section 33(A) of the Water Act and 31(A) of the Air Act and in performance of their functions under the said Acts, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions which includes the power to direct:-

a). The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or

b). Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.

Therefore, a show cause notice is being issued as to why the direction for closure of the industry including disconnection of electric and water supply be not confirmed. In case you wish to submit any objection/clarifications to above notice, please arrange to submit your clarification along with the supporting documents/evidence within 15 days from date of issue of this letter to this office failing to which direction under the Air Act & the Water Act shall be confirmed without any further notice.

Yours sincerely,

(Vijay Sharma)
Regional Officer

Annexure-3

मौका निरीक्षण

श्रीमान् उप वन संरक्षक महो० वनमण्डल (चिड़ियाघर), जयपुर के आदेश क्रमांक : 5189 दि० 11-6-24 की पालना मे उनके निर्देशानुसार आज दिनांक 16/7/24 को वनपाल नाका काला महादेव के साथ वनखण्ड आमेर-54 के ग्राम नाहरगढ़ व ग्राम आमेर की वनसीमा के पास बनी हुई हैवी व्यापर हवेली व हैवी व्यापर हवेली के गोदाम का मौका निरीक्षण करने पहुंचे। हवेली के आसपास सघन आबादी बसी हुई है व आलीशान बहुमंजिले मकान बने हुये है। हवेली के नया निर्माण व पुराने निर्माण के आगे के कोनों के g.P.S. कॉर्डिनेट लिये गये। चूंकि मौके पर सघन आबादी बसी हुई है जिसके कारण वहां पुराने वन मीनार नहीं मिल पाये। ब्लॉक फाईल व नक्शे के मीनार संख्या 371-372-373 के पीडीकोर द्वारा DGPS सर्वे द्वारा जो कॉर्डिनेट लिये गये उनके आधार पर चैक करने पर पाया गया कि हवेली का नया निर्माण व पुराना निर्माण वनसीमा से बाहर स्थित है। हवेली मीनार संख्या 372 से लगभग 9 मीटर दूर होकर वनक्षेत्र से बाहर है। ग्राम नाहरगढ़ का खसरा नं. 88 व ग्राम आमेर का खसरा नं. 5621/1 एक ही वनसीमा पर लगते हुए है। ग्राम आमेर का खसरा नं. 5621/1 वनक्षेत्र के अन्दर आता है, लेकिन वर्तमान में उक्त खसरा अमलदरामद होने के कारण राजस्व जमाबन्दी में MEO, Jaipur के नाम दर्ज है। खसरा नं. 88 ब्लॉक फाईल व नक्शे अनुसार ग्राम नाहरगढ़ के वनक्षेत्र में नहीं आता है एवं उक्त हवेली व हवेली का नया निर्माण खसरा नं. 88 में आता है। इसी प्रकार हैवी व्यापर हवेली का जो गोदाम कैनोलाल बाग के पास बना हुआ है वहां भी घनी आबादी बसी हुई है और मौके पर वनसीमा के मीनार नहीं पाये गये। गोदाम के g.P.S. कॉर्डिनेट लिये गये और उन्हें पूर्व में पीडीकोर द्वारा DGPS सर्वे द्वारा जो मीनारों के कॉर्डिनेट लिये गये उनसे चैक करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त गोदाम वन सीमा के मीनार संख्या 389 से 391 की वनसीमा से लगभग 19 मीटर दूर स्थित होकर वनक्षेत्र से बाहर स्थित है। ब्लॉक फाईल व नक्शों के द्वारा चैक करने पर ज्ञात होता है कि उक्त गोदाम ग्राम नाहरगढ़ के खसरा नं. 169 का रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जो वनक्षेत्र में शामिल हुआ है, उससे बाहर स्थित है। ब्लॉक फाईल नक्शों व राजस्व नक्शों के मिलान से प्रतीत होता है कि ग्राम नाहरगढ़ के खसरा नं. 169 का जो रकबा वन विभाग में शामिल हुआ है, वह वर्तमान में खसरा नं. 167/2 में शामिल लगता है एवं वर्तमान में उक्त खसरा राजस्व जमाबन्दी में सा.नि.वि. जयपुर के नाम दर्ज है।

संलग्न :- नजरी नक्शा व गुगल मैप

वनसीमा मीनार (g.P.S.)

371. N26°57'33.918" E75°50'34.625"
372. N26°57'35.716" E75°50'33.997"
373. N26°57'38.096" E75°50'32.216"
389. N26°57'20.470" E75°50'20.353"
390. N26°57'24.620" E75°50'17.106"
391. N26°57'26.289" E75°50'14.353"

हैवी व्यापर हवेली (g.P.S.)

1. N26°57'34.1" E75°50'33.2"
2. N26°57'35.7" E75°50'33.5"

गोदाम के (g.P.S.)

1. N26°57'21.52" E75°50'17.79"
2. N26°57'22.80" E75°50'17.50"

निरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर) सर्वेयर

(हस्ताक्षर) वनपाल ... नाका

नजरी नक्शा

(हैप्पी क्राफ्ट होटल)

दिनांक: 16/7/2024

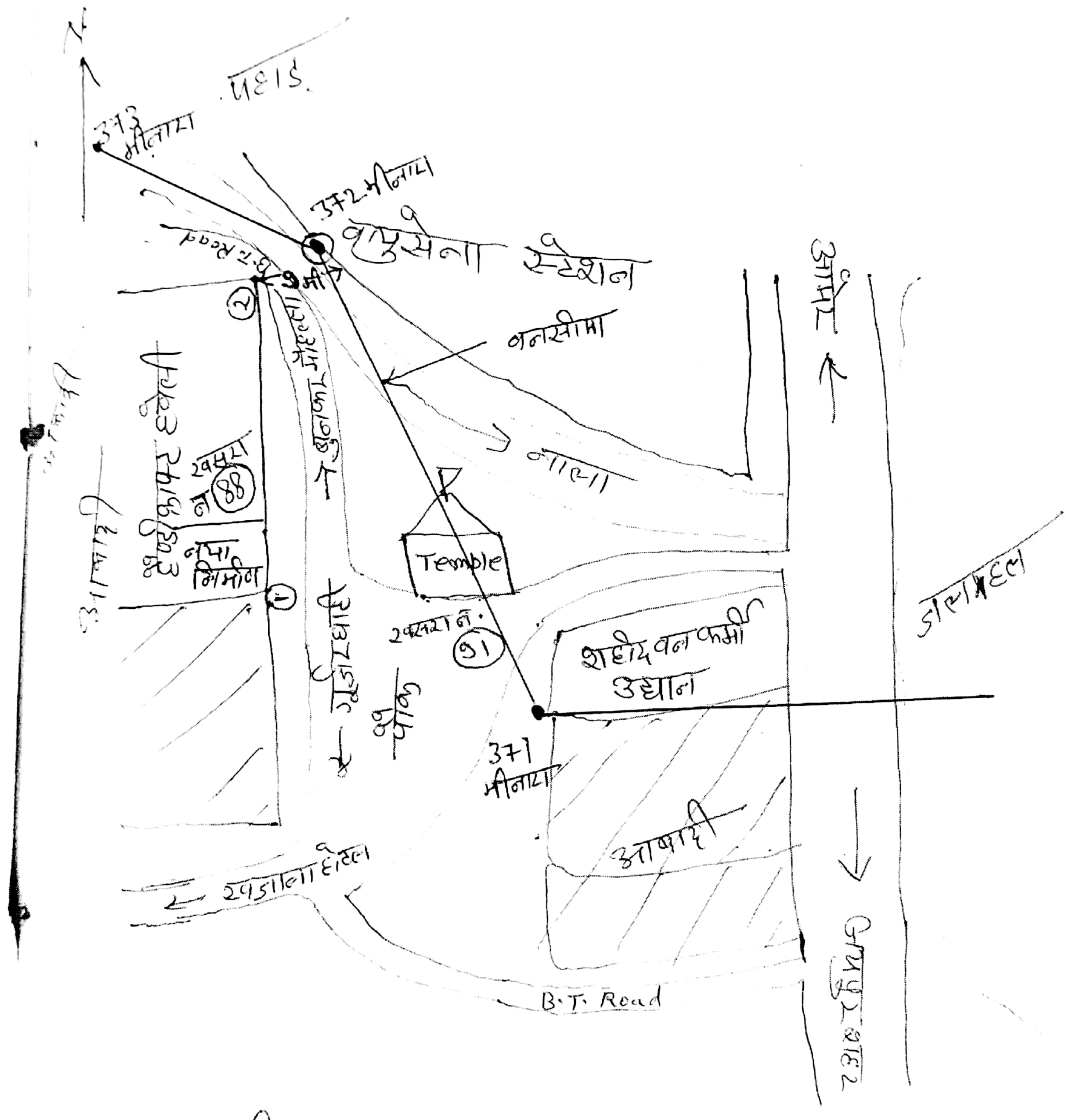

सर्वेयर

वनपाल

Government of Rajasthan
Forest, Environment & Climate Change Department

F.No.6(3)Env/2017 Part I

Dated 26.09.2023

Circular

Eco Sensitive Zones (ESZs) are notified around Protected Areas (PAs) to provide required buffer. ESZs have already been notified for many PAs while for many others, the process of notifying ESZs is in various stages.

After notification of ESZ, Zonal Master Plan (ZMP) is supposed to be prepared and published to provide guidance for taking up various economic activities in these areas. Preparation and publication of ZMPs for few ESZs has been done and for others, it is in various stages.

Reference are being received regarding regulation of activities in ESZs, which have been notified but for which ZMPs have not been finalized as well as those where ESZs are yet to be notified and thus have default width of 10 kms.

The matter has been examined and to provide required clarity, following guidelines are hereby issued:

1. For PAs for which ESZs notification have been issued but ZMPs are yet to be finalized:

Notifications for ESZs use words "existing" and "new" with respect to hotels, resorts etc. It is hereby clarified that such hotels, resorts, etc. would be considered "existing", which are having any of the following documents prior to date of issue of notification for that ESZ:-

(i) Electricity connection for non-agricultural use.
(ii) Approval by Tourism Department as tourism unit.
(iii) Conversion order/ Patta for non-agricultural use.
(iv) Building plan approval.
(v) Order regarding change in land use.
(vi) Proof of deposit of tax as hotel, resort, etc.
(vii) CTE/ CTO/ Environmental clearance.

Hotels, resorts, etc. which don't have any of these documents prior to the date of issue of notification for that ESZ would be considered "new".

Validity unknown
Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Director Cum Joint Secretary
Date: 2023.09.26 10:45:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4785371

2. PAs for which ESZ is yet to be notified:

These are cases where default ESZ is 10 km around PA. ESZ notification for such PAs would be issued only after the issue of this Circular. Such notifications for ESZs are also likely to have classification of hotels, resorts, etc. in two categories– "new" and "existing". Accordingly it is clarified that such hotels, resorts, etc. in the area of default ESZ of such PAs may be considered "existing", which have any of the seven categories of documents listed in this Circular, issued prior to the date of issue of this circular or the date of issue of notification for that ESZ, whichever is later.

Rajasthan State Pollution Control Board and District Monitoring Committee of ESZs shall use this guidance for deciding and regulation of cases of these categories in ESZs.

(Monali Sen, IFS)
Director cum Joint Secretary

Copy to :

1. Special Assistant to Hon'ble Minister, Environment & Forests, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Additional Chief Secretary, Revenue Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Principal Secretary, UDH Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
4. PS to Principal Secretary, Tourism Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Secretary, Local Self Government, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
6. Principal Chief Conservator of Forest & Head of Forest Force(HoFF), Rajasthan, Jaipur with request to circulate it to all concerned.
7. Principal Chief Conservator of Forest & Chief Wild Life Warden(CWLW), Rajasthan, Jaipur.
8. All Divisional Commissioners, Rajasthan.
9. All District Collectors, Rajasthan.
10. Guard File.

Director cum Joint Secretary

Validity unknown
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Director Cum Joint Secretary
Date: 2023.09.26 10:45:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4785371

Annexure-5

पता सहायक अभियन्ता : 33/11KV POWERHOUSE, BRAHAMBURI ; JAIPUR

ईमेल

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत उपभोग विपत्र (उपभोक्ता प्रति)

पता शिकायत केन्द्र 1412203000

उपखण्ड का नाम	उपखण्ड कोड	वर्तमान खाता संख्या	कार्यालय टेलीफोन नं.	शिकायत केन्द्र टेलीफोन नं.	बिल क्रमांक
AEN E-V, BRAHAMPURI	2104560	0718/0063	1412674139	1412203000	21045602656

नाम, पता एवं टेलीफोन नं.	बिल माह	पठन तिथि	बिल जारी करने की तिथि	नियत भुगतान तिथि
एम / एस हैंडीक्राफ्ट हवेली पारी , अनिल संजय खांदेला एनआर एयर फोर्स गुर्जर घाटी अमर रोड	Aug/2014	01-07-2014 वर्तमान 01-08-2014	13-08-2014	27-08-2014
	फीडर कोड	उपभोक्ता की स्थिति	शहरी/ग्रामीण	मार्ग निर्देशन संख्या
	23574105	R	URBAN	0
ईमेल : 0	बिल अवधि	न्यूनतम बिलिंग राशि	अमानत राशि	मीटर सुरक्षा राशि
क. संख्या: 210456007685	1.0		55856.00	

CIN

श्रेणी	टैरिफ कोड	सप्लाई वोल्टेज	मीटरिंग वोल्टेज	स्वी. लोड (कि.वा./हा.पॉ.)	कनेक्टेड लोड (कि.वा./हा.पॉ.)	कांट्रेक्ट डिमांड (के.वि.ए.)
NDS	2020XA	400 V	400 V	46 KW	46 KW	

मीटर नं.	मीटर प्रकार	मीटर की स्थिति	वर्तमान पठन	गत पठन	उपभोग	गुणांक	ट्रा. क्षति	कुल उपभोग/डिमांड
T08347807	KWH		15496	15135	361	20/1		7220
	KVAH		18294	17883	411			8220
	KVA		2.100		2.100			42.000

पॉवर फैक्टर	औसत मासिक उपभोग (पृ.वि.व.)	सेवा क्रमांक	टी.पी. सील नम्बर	डिफर्ड पेमेंट स्कीम कोड	डिफर्ड पेमेंट स्कीम राशि	मीटरिंग टाइप	बिलिंग की स्थिति	बिलिंग डिमांड	मीटर स्वामित्व	कुल उपभोग/डिमांड
0.878	5867		376039				REGULAR			7220

क्रम सं.	विवरण	बिल राशि (रू.)	क्रम सं.	विवरण	बिल राशि (रू.)
1.	विद्युत खर्च	47387.00	17.	जल संरक्षण उपकर	722.00
2.	स्थाई शुल्क	3680.00	18.	नगरीय उपकर	1083.00
3.	न्यूनतम राशि का अन्तर		19.	शहरी निकाय शुल्क	
4.	रिबेट्स (-) वोल्टेज		20.	अन्य	
5.	सोलर/मिश्रित		21.	अन्य देय/जमा कोड निगम राशि	
6.	ग्रामीण रियायत		22.	अन्य देय/जमा कोड विद्युत शुल्क	
7.	अन्य		23.	अन्य देय/जमा कोड जल संरक्षण उपकर	
8.	डिमांड सरचार्ज		24.	अन्य देय/जमा कोड नगरीय उपकर	
9.	पावर फैक्टर सरचार्ज (+) प्रोत्साहन (-)	1042.51	25.	अन्य देय/जमा कोड शहरी निकाय शुल्क	
10.	शंट कैपेसिटर चार्जेज (3%)		26.	अन्य देय/जमा कोड अन्य	
11.	अनाधिकृत उपभोग राशि		27.	समायोजित राशि (कोड)	
12.	सी.टी./पी.टी./मीटर किराया	100.00	28.	पिछले बिल तक बकाया राशि	
13.	ट्रांसफार्मर किराया		29.	स्थगित बकाया राशि (चालू माह)	
14.	निगम राशि (क्रम सं. 1 से 13 का योग)	52209.51	30.	नियत तिथि तक देय कुल राशि (क्रम 14 से 29 तक का योग)	56903
15.	राज्य सरकार द्वारा वहन राशि		31.	विलम्ब भुगतान सरचार्ज	1044.19
16.	विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर	2888.00	32.	नियत तिथि तक देय कुल राशि (क्रम 30 से 31 तक का योग)	57947

पिछले छः बिलिंग माह में अंकित उपभोग

माह उपभोग (यूनिट)

Jul14	Jun14	May14	Apr14	Mar14	Feb14
6800	7300	6680	5360	4940	5460

मोहर सहायक अभियन्ता

बार कोड

उपखण्ड कोड, नाम व पता: 2104560
AEN E-V, BRAHAMPURI
JVVNL
ईमेल:

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(विद्युत वितरण निगम, राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पेन नं. AABCJ6373K
कार्यालय फोन नं. 1412674139

पता शिकायत केन्द्र :
बिल नं. 2104560539071
टोल फ्री शिकायत नं. 18001806507

(P)

नाम	एम् / एस हेंडीक्राफ्ट हवेली		
पता	पारो , अनिल संजय खांदेला एनआर एयर फोर्स गुर्जर घाटी अमर रोड		
मोबाइल नं.	9829015959	बिलिंग स्थिति	REGULAR
ईमेल :			
क. नंबर:	210456007685		
RSN:	63		
सेवा क्रमांक	376039	अमानत राशि	86571.00
वर्तमान खाता संख्या	0718/0063		
बिल माह	Mar/2017	कुल माह बिल	1.0000
फीडर कोड	SBF1031599	टैरिफ कोड	2020XA
स्वी. श्रेणी	NDS		
स्वी. लोड (कि.वा./हा.पॉ.)	80.00 KW	कनेक्टेड लोड (कि.वा./हा.पॉ.)	80.00 KW
कांट्रेक्ट डिमांड (के.वि.ए.)	50	शहरी / ग्रामीण	URBAN
सप्लाई वोल्टेज	230 V	मीटरिंग वोल्टेज	230 V
मीटर स्वामित्व		मीटरिंग टाइप	TVM
पॉवर फैक्टर	0.766	बिलिंग डिमांड	37.5000
औसत मासिक उपभोग (यू.कि.वा.)	5536	मीटर सुरक्षा राशि	
मीटर की स्थिति	OK	उपभोक्ता की स्थिति	R
वर्तमान पठन तिथि	01-03-2017	गत पठन तिथि	01-02-2017
वर्तमान स्थापित मीटर नं.	T08347807	गुणांक	20/1
वर्तमान पठन (KWH)	24249	गत पठन (KWH)	24026
वर्तमान पठन (KVAH)	28822	गत पठन (KVAH)	28531
वर्तमान पठन (KVA)	1.821	गत पठन (KVA)	
चालू सं./अतिरिक्त मीटर नं.		गुणांक	
वर्तमान पठन (KWH)		गत पठन (KWH)	
वर्तमान पठन (KVAH)		गत पठन (KVAH)	
वर्तमान पठन (KVA)		गत पठन (KVA)	
मीटर की स्थिति		ट्रा. क्षति	कुल उपभोग
उपभोग (KWH)	223		4460
उपभोग (KVAH)	291		5820
उपभोग (KVA)	1.821		36.420
बिल जारी करने की तिथि	03-03-2017	नियत भुगतान तिथि	17-03-2017

क्र.सं.	विवरण	बिल राशि (रु.)
1.	विद्युत खर्च	38708.00
2.	स्थाई शुल्क	7125.00
3.	डिमांड सरचार्ज	
4.	पावर फैक्टर सरचार्ज (-) प्रोत्साहन (-)/शंट कैपेसिटर सरचार्ज (3%)	5213.67
5.	अनाधिकृत उपभोग राशि	
6.	सी.टी./पी.टी./मीटर किराया	100.00
7.	ट्रांसफार्मर किराया	
8.	अन्य	
9.	रिबेट्स (-) (i) वोल्टेज	
	(ii) सोलर/स्प्रिंकलर/ग्रामीण रियायत	
10.	निगम राशि (क्रम सं. 1 से 9 तक का योग)	51346.67
11.	विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर	1784.00
12.	जल संरक्षण उपकर	446.00
13.	नगरीय उपकर	669.00
14.	अन्य देय/जमा कोड निगम राशि	
15.	अन्य देय/जमा कोड विद्युत शुल्क	
16.	अन्य देय/जमा कोड जल संरक्षण उपकर	
17.	अन्य देय/जमा कोड नगरीय उपकर	
18.	अन्य देय/जमा कोड/एल.ई.डी./डोर्फड योजना भुगतान	
19.	समायोजित राशि (कोड)	
20.	कुल उपभोग राशि (क्रम सं. 10 से 19 तक का योग)	54245.67
21.	पिछले बिल तक बकाया राशि	
22.	स्थगित बकाया राशि (चालू माह)	
23.	राज्य सरकार द्वारा वहन राशि - (i) टैरिफ सब्सिडी	
	(ii) ओलावृष्टि / अन्य सब्सिडी	
24.	नियत तिथि तक देय कुल राशि (क्रम सं. 20+21-22-23)	54246.00
25.	विलम्ब भुगतान सरचार्ज	1026.93
26.	नियत तिथि पश्चात् देय कुल राशि (क्रम सं. 24 एवं 25 का योग)	55273.00

पिछले छः बिलिंग माह में अंकित उपभोग माह उपभोग (यूनिट)

माह	Feb17	Jan17	Dec16	Nov16	Oct16	Sep16
उपभोग	1680	4120	4980	6200	6020	5840

उपभोक्ता पेन नं.

बार कोड:

रंगीन फोटो

मोहर
सहायक अभियन्ता

*** सीएससी एवं ई-मित्र कियोस्क द्वारा जारी मात्र कम्प्यूटर अंकित रसीद ही मान्य है।

शिकायत दर्ज करवाने हेतु टोल फ्री नम्बर - 1800-180-6507

जमाकर्ता की प्रति

प्रारूप नं. 4

नगर निगम जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22, 23 और 24 (1) के अधीन)

बुक नं.

रसीद

जोन आमेर 130543 वार्ड नं. 88 रसीद नं. 27

संग्रहकर्ता क्र. 0841 दिनांक 7/03/19

श्री अनिल खण्डेलवाल, संजय खण्डेलवाल पता गुर्जर घाटी, जयपुर

खाता क्रमांक (ईंटो क्र. 142 टनेश्री)

सेवा क्रमांक 5169/7658/7

कर व शुल्क का नाम	वर्ष	कुल देय राशि	वसूल राशि	चैक नं. बैंक का नाम व दिनांक
गृहकर भूमि किराया (लीज) दुकान किराया लाइसेंस शुल्क विज्ञापन शुल्क सरचार्ज ब्याज पेनल्टी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क केरिंग चार्जेज अन्य	UDT वर्ष 18-19 (1 Apr to 31 march 19)	80704/-		'691985' [IDBI Bank] 07/03/2019
प्रगामी योग प्रतिदिन रू.		कुल राशि रू.	80704/-	
		छूट रू.		
		शुद्ध राशि रू.	80704/-	

अक्षरे रू. अस्सी हजार सात सौ चार रुपये मात्र/- नकद/चैक से प्राप्त हुए।

नोट : 1. इस पावती पर राशि लेने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं सील नहीं होने पर पावती वैद्य नहीं मानी जायेगी।
2. चैक की राशि बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही पावती वैद्य मानी जायेगी।

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

स्क्रोल का पेज नं./सीरियल नं.

जमाकर्ता की प्रति

प्रारूप नं. 4

नगर निगम जयपुर

(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22, 23 और 24 (1) के अधीन) 79

बुक नं. 180725

रसीद

रसीद नं. ....

जोन AMER वार्ड नं. 88 संग्रहकर्ता क्र. 0839 दिनांक 27/7/18

श्री [illegible] पता [illegible]

खाता क्रमांक [illegible] सेवा क्रमांक 7168/6402/8

कर व शुल्क का नाम	वर्ष	कुल देय राशि	वसूल राशि	चैक नं. बैंक का नाम व दिनांक
गृहकर				
भूमि किराया (लीज)	200327		10264	चैक
दुकान किराया				
लाइसेंस शुल्क				
विज्ञापन शुल्क	e 5132	[illegible] 10264		19/7/18
सरचार्ज				580417
ब्याज				
पेनल्टी				
जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क				
केरिंग चार्जेज				
अन्य				

प्रगामी योग प्रतिदिन रू.		कुल राशि रू.	10264
		छूट रू.	—
		शुद्ध राशि रू.	10264

अक्षरे रू. [illegible] नकद/चैक से प्राप्त हुए।

नोट : 1. इस पावती पर राशि लेने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं सील नहीं होने पर पावती वैद्य नहीं मानी जायेगी।
2. चैक की राशि बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही पावती वैद्य मानी जायेगी।

सहायक राजस्व निरीक्षक
संग्रहकर्ता
के हस्ताक्षर एवं सील
नगर निगम जयपुर

स्क्रोल का पेज नं./सीरियल नं. ....

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नं॰ 0141–2700151 **ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in**

क्रमांकः एफ 8 (07)2024 / विधि / मुवजीप्र–02868 / 2024–25 दिनांकः ई–हस्ताक्षर

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 07.01.2025 को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 में अंकित सीमाओं एवं नाहरगढ अभ्यारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन में प्रदर्शित सीमाओं में अन्तर के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री वेंकटेश शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
2. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
4. श्री के.सी. मीना, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।
5. श्री टी. मोहनराज, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
6. श्री अशोक जैन, उप वन संरक्षक (आई.टी.), राज0 जयपुर।
7. श्री जगदीश चन्द गुप्ता, उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।
8. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), राज0 जयपुर।
9. सर्वेयर, कार्या0 उप वन संरक्षक, (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष नाहरगढ अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09,1980 को जारी की गई , में उल्लेखित अभयारण्य की चारों दिशाओं की सीमाओं के विवरण के बारे में अवगत कराया। नाहरगढ अभयारण्य के इको सेसेटिव जोन की जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 में संलग्न जी टी शीट में अभयारण्य की सीमा का अवलोकन कराया। नक्शे पर दर्शायी गई अभयारण्य की सीमा को परपल रंग से मार्क किया गया है। उक्त नक्शे में सीमा पर 1 से 100 बिन्दु अंकित किये गये है, जबकि अधिसूचना में अभयारण्य की सीमा के केवल 11 बिन्दुओं के जी. पी. एस. कोआर्डिनेटस की सूची का उल्लेखन किया गया है, जिनसे पूरी अभयारण्य की सीमा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। नक्शे पर प्रदर्शित / मार्क की गयी अभ्यारण्य की सीमा को अभयारण्य की जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के अनुसार पढने पर नक्शे पर प्रदर्शित की गई सीमा में काफी त्रुटियॉ देखने में पायी गई । उक्त नक्शे पर मार्क की गई सीमा एवं अभयारण्य की अधिसूचना में अन्तर के कारण माननीय न्यायालयों में काफी संख्या में वाद विचाराधीन है। जिनके कारण माननीय न्यायालयों में अलग अलग तरह से जवाब प्रस्तुत करने वाले वादों की संख्या में वृद्वि लगातार हो रही है। उक्त समस्या का समाधान किया जाना अतिआवश्यक

Signature valid
Digitally signed by Pay Kumar Upadhyay
Designation : P ci Chief Conservator Of st
Date: 2025.01.09 :59:55 IST
Reason: Approved

उक्त संबंध में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से चर्चा की गई और अभयारण्य की अधिसूचना एवं नाहरगढ अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 को जारी की गई, के साथ नक्शे पर मिलान कर अध्ययन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाहरगढ अभ्यारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के आधार पर राजस्व मैप पर अभयारण्य का नक्शा बनाया जावे। जिसके लिए उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर को दिनांक 17.01.2025 तक समिति के समक्ष नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य का नक्शा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिसे समीक्षा उपरान्त राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया जावेगा। इसके साथ–साथ इको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना के आधार पर इको सेंसेटिव जोन का संशोधित नक्शा भी प्रस्तुत किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(**पवन कुमार उपाध्याय**)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 8 (07)2024/विधि/मुवजीप्र–02868/2024–25 दिनांकः ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान, जयपुर।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए), राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त), राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर।
7. उप वन संरक्षक (आई.टी.), राज0 जयपुर।
8. उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Pav Kumar Upadhyay
Designation : ci Chief Conservator Of st
Date: 2025.01.09 4:59:55 IST
Reason: Approved

Annexure-7

Photographs taken during inspection are as follows:

W
N
S
E
GUJARGHATI
गूजरघाटी
Trident Hotel Jaipur
ट्राइडेंट होटल
SHAHPURA BA
शाहपुरा बाघ
Mahal Jaipur
खज़ाना महल जयपुर
PARASRAMPURI
परसम्पुरि
Water Tank
Google
26.956276N 75.838069E
315° NW
1
Index number: 5116
Jan 10, 2025 6:35:35 PM

W
N
S
E
GUJARGHATI
गुजरघाटी
Trident Hotel Jaipur
ट्राइडेंट होटल
SHAHPURA BA
शाहपुरा बाघ
Mahal Jaipur
ख़ज़ाना महल जयपुर
PARASRAMPUR
परसम्पुरि
Water Tank
Google
26.956272N 75.837940E
283° W
1
Index number: 5117
Jan 10, 2025 6:36:02 PM

Handicraft Haveli
HH
NEAR AIR FORCE STATION
GUJAR GHATI, AMER ROAD
JAIPUR-302002 (RAJ.)
GSTN NO.08AACFH3340L1ZF
GUJARGHATI
गूजरघाटी
Trident Hotel Jaipur
ट्राइडेंट होटल
SHAHPURA BA
शाहपुरा बाघ
Mahal Jaipur
खज़ाना महल जयपुर
PARASRAMPURI
परसम्पुरि
Google
26.956305N 75.838226E
258° W
1
Index number: 5121
Jan 10, 2025 6:37:20 PM